सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाने की एक पहल

एस. श्रीनिवासन

सब जानते हैं कि यदि जिनेरिक औषधियां (ब्रांड की परिधि से बाहर की दवाइयां) मुहैया करवा सकें तो आम लोगों को सस्ते दामों पर दवाइयां उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। लेकिन इसमें भी शर्त यही होगी कि अव्वल तो चिकित्सक अपनी पर्ची में जिनेरिक दवाइयां लिखें।

तमिलनाडु और दिल्ली सरकारों द्वारा जिनेरिक दवाइयों के क्रय मूल्य से पता चलता है कि इनकी कीमत उनके ही समकक्ष ब्रांडेड संस्करणों की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) की तुलना में 1.5 से 10 फीसदी ही होती है। लेकिन खुदरा स्तर पर कोई भी औषधि विक्रेता इन कम कीमत वाली जिनेरिक दवाइयों को बेचना नहीं चाहेगा, क्योंकि कम कीमत का मतलब होगा कम मार्जिन यानी कम लाभ। भारत में खुदरा औषधि विक्रेताओं की संख्या करीब चार लाख है। एक औषधि विक्रेता के पास यदि आप कोई दवा लेने जाएंगे तो संभावना यही है कि वह आपको सबसे महंगे ब्रांड की ही दवा देगा।

रोगियों और दवा का सेवन करने वालों को चिकित्सकों, दवा कंपनियों और दवा उद्योग द्वारा यही समझाया जाता है कि किसी दवा के सबसे महंगे संस्करण का मतलब है सबसे अच्छी गुणवत्ता और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाई सस्ती नहीं मिल सकती। लेकिन यदि 'अच्छी गुणवत्ता' वाली दवाई का निर्माता ब्रांडेड संस्करण की दवा महंगी कीमत पर और जिनेरिक संस्करण की दवा काफी कम कीमत पर बेचे तो? ऐसा होने के बाद भी चिकित्सक जिनेरिक दवाइयां नहीं लिखेंगे। और लिख भी दी तो रोगी उन्हें खरीदेगा कहां से?

इस विशाल देश में इस दुविधा से निपटने के कुछ ही उपाय हुए हैं। हालांकि खुदरा स्तर पर कम कीमत में जिनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने के कई उदाहरण मिल जाएंगे। इनमें एक पुणे स्थित लोकायत संस्था का उदाहरण है। यह संस्था कम कीमत वाली जिनेरिक औषधियां वडोदरा स्थित दवा निर्माता एनजीओ 'लोकॉस्ट' से प्राप्त करती है। लोकायत के चिकित्सक अपने बाह्य मरीज़ों को यही दवाइयां लिखते हैं। नांदेड़ में रायत फार्मेसी और कोल्हापुर ज़िले में मीरा मेडिकल भी कम कीमत वाली दवाइयां लोकॉस्ट से खरीदकर उपलब्ध करवाते हैं।

हाल ही में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले के सार्नजनिक क्षेत्र में भी ऐसा ही एक प्रयास बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है।

चित्तौड़गढ़ पहल

यह एक सच्चाई है कि स्वैच्छिक क्षेत्र की बजाय सरकारी क्षेत्र में कोई भी नवाचार करना काफी मुश्किल होता है। चित्तौड़गढ़ में सस्ती दवाइयों की खरीद और आपूर्ति का पूरा प्रबंधन विशेष तौर पर गठित सरकारी सहकारी समिति द्वारा किया जा रहा है। वैसे सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाने का राजस्थान सरकार का अपना इतिहास रहा है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में आरएमआरएस द्वारा संचालित लाइफ-लाइन फ्लूइड स्टोर्स सस्ती दरों पर इंजेक्शन व फ्लूइड्स उपलब्ध करवाते आए हैं। वर्ष 2004 में सरकार ने इन फ्लूइड स्टोर्स को जीवन रक्षक दवाएं भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए, लेकिन ऐसे स्टोर्स केवल कुछ शहरों में ही खोले जा सके हैं। इसके अलावा ये ब्रांड नाम वाली दवाइयां ही खरीदकर उनकी आपूर्ति कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से महंगी होती हैं।

अधिकांश दवाइयों की मूल कीमत बहुत कम होती हैं, लेकिन वे निम्नलिखित तीन वजहों से रोगियों को सस्ते दामों पर उपलब्ध नहीं हो पातीं :

1. चिकित्सक किसी दवा कंपनी के ब्रांड नाम की दवा ही लिखते हैं। इससे प्रतिस्पर्धा हतोत्साहित होती है और बाज़ार में एकाधिकार की स्थिति बनती है जिससे दवा कंपनी को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) काफी ज़्यादा रखने की

आज़ादी मिल जाती है।

2. दवाइयों पर अधिकतम खुदरा मूल्य काफी अधिक अंकित किया जाता है। औषधि विक्रेता मरीज़ से वही कीमत वसूल करता है, जो एमआरपी के रूप में लिखी होती है।

3. उपभोक्ताओं को यह बात मालूम नहीं है कि अधिकांश दवाइयों की उत्पादन लागत बहुत कम होती है। इसके अलावा यदि चिकित्सक ने किसी ब्रांड विशेष की दवा लिख दी तो फिर मरीज़ के पास उसे खरीदने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता, भले ही बाज़ार में अन्य सस्ते ब्रांड उपलब्ध हों।

उदाहरण के लिए यदि चिकित्सक ने ब्लड कैंसर के किसी मरीज़ के लिए 'ग्लाइवेक' ब्रांड की दवा लिखी है तो महीने भर के कोर्स की कीमत 1,14,400 रुपए होगी, जबकि उसी दवा के दूसरे ब्रांड 'वीनेट' की महीने भर के कोर्स की कीमत अपेक्षाकृत काफी कम 11,400 रुपए होगी। सिप्ला इस दवा के समकक्ष जिनेरिक दवा (इमिटिब) 8,000 रुपए में और ग्लेनमार्क 5,720 रुपए में मुहैया करवाती है।

इसलिए चित्तौड़गढ़ ज़िला प्रशासन ने रोगियों को सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक रणनीति अख्तियार की। आगे का विवरण निम्नलिखित वेबसाइट से लिया गया हैः http://chittorgarh.nic.in/Generic_new/generic.htm

जिनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में औसतन पांच गुनी सस्ती होती हैं। सबसे पहले चिकित्सकों को प्रेरित किया गया कि वे मूल नाम से दवाइयां लिखें ताकि दवा निर्माता कंपनियों का एकाधिकार टूटे। सरकारी औषधि विक्रय केंद्रों पर एमआरपी से कम दामों पर दवाइयां मुहैया करवाने की व्यवस्था की गई और इस बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया। ऐसा इन तीन चरणों में किया गयाः

1. यह सुनिश्चित किया गया कि चिकित्सक राज्य सरकार के निर्देशानुसार केवल जिनेरिक नाम से ही दवाइयां लिखें। राज्य सरकार ने कई परिपत्र/आदेश जारी कर रखे हैं जिनमें सभी सरकारी चिकित्सकों को निर्देश है कि वे ब्रांड नाम के बजाय केवल जिनेरिक नाम से ही दवाइयां लिखें।

योजना शुरू करने से पहले ही निम्नलिखित मसलों को संबोधित किया गया था।

क. गुणवत्ता

यह सुझाने के लिए चिकित्सकों का एक समूह गठित किया गया कि उनके अनुसार कौन-सी कंपनियां अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां बनाती हैं। केवल उन्हीं कंपनियों की दवाएं खरीदकर सहकारी स्टोर्स को दी गईं।

ख. कौन-सा कॉम्बिनेशन

सहकारी स्टोर्स में सामान्य इस्तेमाल में आने वाले औषधि मिश्रणों के जिनेरिक संस्करण उपलब्ध करवाए गए।

ग. औषधि विक्रेता तो अपनी पसंद के ब्रांड की दवा देगा और अंकित एमआरपी के अनुसार कीमत वसूलेगा। यदि मरीज़ों को अस्पतालों से ही दवाइयां मिल जाएं या उन्हें सहकारी स्टोर से सस्ते दामों पर दवाइयां खरीदने के लिए जागरूक किया जा सके तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। एक बार मरीज़ों को यह समझ में आ गया कि वही दवा काफी सस्ती कीमत में सहकारी स्टोर में उपलब्ध है तो बाज़ार की प्रतिस्पर्धा के चलते औषधि विक्रेता भी उन्हें कम कीमत पर बेचने को विवश होंगे। इसका लाभ अंततः मरीज़ों को ही मिलेगा।

घ. क्या सरकार एमआरपी की सीमा बांध सकती है? ऐसा राज्य सरकार के स्तर पर नहीं हो सकता। केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम और औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकती है। चिकित्सकों को राज़ी किया गया कि उन्हें एमआरपी की सीमा बंधने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और अपने मरीज़ों, विशेषकर गरीब मरीज़ों की मदद शुरू कर देनी चाहिए।

2. सरकारी/सहकारी मेडिकल स्टोर और लाइफ-लाइन ड्रग स्टोर प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयां कम कीमत पर मुहैया करवाते हैं।

- मेडिकल विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद मरीज़ों द्वारा आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली और चिकित्सकों द्वारा लिखी जाने वाली दवाइयों की सूची तैयार की गई।

- चिकित्सकों की एक समिति से परामर्श लिया गया जिसने सिप्ला, कैडिला, रैनबैक्सी, जर्मन रेमेडीस, एलेम्बिक

इत्यादि प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयां खरीदने की अनुशंसा की (शुरू में 22 और अब 57 कंपनियों का अनुमोदन किया जा चुका है)।

- इन दवाइयों के लिए निविदाएं बुलाई गईं। निविदा में 564 जिनेरिक दवाइयां और 100 से अधिक सर्जिकल व आईवी फ्लूइड शामिल थे। कंपनियों द्वारा पेश की गई कीमत का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद सबसे कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों का चयन किया गया। इन कंपनियों के स्थानीय स्टॉकिस्टों से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर दवाइयां खरीदने के लिए सहकारी स्टोर्स से बोलियां आमंत्रित की गईं।

- ये दवाइयां 20 फीसदी लाभ के मार्जिन पर मरीज़ों को बेची जाती हैं। यह राशि सहकारिता विभाग को जाती है जिससे इस परियोजना को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।

- इस प्रकार प्रतिष्ठित दवा निर्माताओं की दवाइयां (अविश्वसनीय रूप से सस्ती दरों पर) सहकारी मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाई गई हैं।

- प्रचार-प्रसार और रोगियों को अवगत करवाने के लिए सहकारी मेडिकल स्टोर्स के बाहर दवाइयों के दामों की सूची लगाई गई है।

- कम कीमत पर दवाइयों का विकल्प उपलब्ध होने के बाद बाज़ार की प्रतिस्पर्धा निजी मेडिकल दुकानों को भी अपनी कीमतें घटाने को विवश कर देगी।

- जागरूकता पैदा की गई। चर्चाएं आयोजित करके चिकित्सकों को इस कार्यक्रम को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। सहकारी दुकानों के औषधि विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया गया। डिस्प्ले बोर्ड पर तुलनात्मक कीमतें प्रदर्शित करके और स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करके उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया।

गुणवत्ता नियंत्रण एवं ऑडिट

इस परियोजना के गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी डॉ. दिनेश वैष्णव हैं जिन्हें औषधि निरीक्षक श्री जैन सहयोग करते हैं। यह टीम इस बात को सुनिश्चित करती है कि चिकित्सकों की समिति द्वारा अनुमोदित कंपनियों की दवाइयां ही उपलब्ध हों। अब तक विभिन्न दुकानों से जिनेरिक दवाइयों के 33 नमूनों की जांच की गई है और सभी मानक गुणवत्ता पर खरे उतरे हैं।

परिणाम व संभावनाएं

नई पहल का संभावित परिणाम बहुत ही दिलचस्प है। यदि ऐसे ही स्टोर्स सभी सरकारी अस्पतालों में खुल जाएं और वे जिनेरिक दवाइयां ही खरीदें व मुहैया करवाएं तो इससे मरीज़ों को सस्ती दवाइयों की आपूर्ति में सुधार होगा। दवाइयों की कीमत स्टोर्स के बाहर प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए। यदि ये दवाइयां सहकारी स्टोर में उपलब्ध करवाई जाएं तो अधिकांश मामलों में इनकी कीमत बाज़ार में उपलब्ध दवाइयों की तुलना में आधी से भी कम रहेंगी। सेट्रीज़ीन और निमेसुलाइड जैसी कुछ विशिष्ट दवाइयों के दाम तो बाज़ार दर के दसवें हिस्से से भी कम रहेंगे। जब लोगों के पास सस्ती दवा का विकल्प उपलब्ध होगा तो प्रतिस्पर्धा के चलते निजी मेडिकल दुकानें भी दवाइयों के दाम घटाने पर मजबूर हो जाएंगी।

अगले पृष्ठ पर दी गई सारणी में जिनेरिक दवाइयों और बाज़ार में उन्हीं के ब्रांड नाम से मिलने वाली दवाइयों की कीमतें दी गई हैं।

अस्पतालों से मुफ्त दवाइयां प्राप्त करने वाले मरीज़ों की संख्या में इज़ाफा होने के साथ ही अधिकांश बीमारियों की उपचार लागत में गिरावट आई है। राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फंड के खर्चों में भी कमी आने से अब ज़्यादा मरीज़ों को फायदा हो रहा है। यह सब निश्चित रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि चिकित्सक जितना संभव हो सके, राजस्थान सरकार द्वारा जारी मानक उपचार निर्देशों के अनुसार सही परीक्षण करके सही नुस्खे लिखें।

इस लेखक को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि सहकारिता दुकान में सभी प्रमुख दवाइयों (करीब 200) की कीमत बाहर लिखी हुई थी, ताकि संदेह की कोई गुंजाइश न रहे। यह सहकारिता समिति चित्तौड़गढ़ शहर में छह स्टोर चलाती है और पड़ोस के कई ज़िलों के सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ स्वयं चित्तौड़गढ़

जिनेरिक व ब्रांड नाम से बाज़ार में उपलब्ध समकक्ष दवाइयों की कीमतें (रुपए में)

दवा का जिनेरिक नाम	चित्तौड़गढ़ भंडार में दाम	एमआरपी
एल्बेन्डेज़ोल गोली आईपी 400 एमजी (1 गोली)	1.37	25.00
एल्प्रेज़ोलम गोली आईपी 0.5 एमजी (10 गोलियां)	1.75	14.00
आर्टीथर 2 एमएल इंजेक्शन (1 इंजेक्शन)	11.72	99.00
एम्लोडिपाइन गोली 5 एमजी (10 गोलियां)	3.12	22.00
सेट्रिज़ीन 10 एमजी (10 गोलियां)	1.50	35.00
सेफ्टाज़ीडाइम 1000 एमजी (1 इंजेक्शन)	64.90	370.00
एटोर्वेस्टैटिन गोली 20 एमजी (10 गोलियां)	22.59	170.00
डिक्लोफेनैक गोली आईपी 100 एमजी (10 गोलियां)	2.75	25.00
डायाज़ेपाम गोली आईपी 5 एमजी (10 गोलियां)	1.90	29.40
एमीकैसिन 500 एमजी (1 इंजेक्शन)	8.67	70.00

ज़िले के सीएचसी को भी जिनेरिक दवाइयों की आपूर्ति करती है। यही दवाइयां इसी कीमत में चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलियाजी सरकारी ज़िला अस्पताल के इनडोर व आउटडोर मरीज़ों के लिए भी उपलब्ध होती हैं। इस अस्पताल में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों और अन्य पात्र समूहों (जैसे एकल महिलाओं, अनाथों, बुजुर्गों इत्यादि) की जांच मुफ्त में की जाती है और दवाइयां भी निशुल्क प्रदान की जाती हैं।

यहां सेवाओं के शुल्क भी बहुत कम हैं। पांच रुपए में हीमोग्लोबिन या मलेरिया परजीवी की जांच हो जाती है, जबकि लिपिड प्रोफाइल के परीक्षण के लिए महज़ 300 रुपए लिए जाते हैं। प्रयोगशाला और एक्स-रे इकाई चौबीसों घंटे काम करती हैं और जांच रिपोर्ट दोपहर 12 बजे व शाम 5 बजे मिल जाती है। रोगी पंजीयन शुल्क भी न्यूनतम है और बिस्तर, उपचार और शल्य चिकित्सा के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

ज़िला कलेक्टर डॉ. समित शर्मा, जो योग्यता प्राप्त बाल रोग विशेषज्ञ हैं, के गतिशील नेतृत्व के बगैर चित्तौड़गढ़ मॉडल इतना सफल नहीं हो पाता। और हां, इसमें वरिष्ठ सरकारी चिकित्सकों का सहयोग भी भरपूर मिला है, जिन्हें डॉ. शर्मा की पहल में समझदारी नज़र आई। सवाल यह है कि क्या यह पहल डॉ. शर्मा के जाने के बाद भी जारी रहेगी? डॉ. शर्मा आईएएस अधिकारी हैं और इसलिए आज या कल उनका तबादला होना तय है। लेकिन स्थानीय राजनीतिज्ञों, मीडिया और आम लोगों में इस परियोजना के प्रति जिस तरह से जागरूकता पैदा हुई है, उससे उम्मीद है कि यह पहल चलती रहेगी। कलेक्टर कार्यालय द्वारा कई स्थानों पर लगाए गए 'जिनेरिक दवाइयों' के विज्ञापन देखकर अच्छा लगता है। लोगों से बातें करने पर पता चलता है कि अब 'जिनेरिक' शब्द आम लोगों की भी ज़ुबान पर चढ़ चुका है व मीडिया भी अपनी खबरों या लेखों में बहुलता से इस शब्द का इस्तेमाल करता है।

यदि राजस्थान सरकार इस मॉडल को पूरे राज्य में अपनाए और जिनेरिक दवाइयां खरीदकर उन्हें कम कीमत पर सभी सरकारी अस्पतालों और खुदरा दुकानों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाए तो दवाइयों की कीमत में एक क्रांति आ सकती है। दवा उद्योग द्वारा इसकी उपेक्षा करना मुश्किल हो जाएगा।

चित्तौड़गढ़ की संस्था प्रयास के डॉ. नरेंद्र गुप्ता के अनुसार यदि राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों के ओपीडी रोगियों को दवाइयां मुफ्त में दी जाएं तो इसका सालाना खर्च 493 करोड़ रुपए आएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना में एक ज़िले में इतना ही खर्च होता है। ***(स्रोत फीचर्स)***